

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 25-1-18

रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 15.12.17 को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का रिपटवारी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल शक्तिश पुत्र पारिगत कौम जाय नेवारी अपटवारी तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 339 किस्म अपटवारी रकवा 52440 बाके ग्राम अपटवारी पर अपटवारी की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा । कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.140 की 50 गुनी से शास्ति राशि १०/ रूपये आरोपित की जाती है । भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी0आर0ए0 का भाग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय खुलें न्यायालय सुनाया गया ।

42
तहसीलदार
राजाखेडा